

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा0/हि0नि0/28203/2019-20

दिनांक:- 09/11/2021

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर,
समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)(माध्यमिक/प्रारंभिक)
समस्त डाईट प्राचार्य
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
समस्त विशिष्ट संस्थायें
उप- पंजियक कार्यालय

विषय:- 2021-22 के लिये हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प021(7) शिक्षा-2/हितकारी निधि/2017 दिनांक 15.06.2018 के द्वारा अनुमोदन उपरान्त हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान वर्ष 2021-22 का शिक्षा विभाग के समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग (प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा) के कार्मिकों के वेतन विपत्र माह दिसम्बर, 2021 देय जनवरी, 2022 पूर्व निर्धारित दर से कटौती कर भिजवाया जाना है, वेतन से कटौती बाबत दिशा निर्देश इस कार्यालय के पत्र दिनांक 08.11.2021 द्वारा जरिये मेल प्रेषित किये जा चुके हैं, अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने अधिनस्थ समस्त कार्मिकों के वेतन से कटौती की जानी सुनिश्चित करें।

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक अंशदान की दरें :-

- | | |
|---|-----------------------|
| 01 समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित) | रूपये 500/- प्रतिवर्ष |
| 02 समस्त अराजपत्रित कार्मिक (अध्यापक एवं सहायक कर्मचारी सहित) | रूपये 250/- प्रतिवर्ष |

हितकारी निधि कल्याणकारी योजनायें :-

इस कल्याणकारी योजनान्तर्गत 2018-19 से नियमित अंशदाता को ही लाभ प्राप्त हो सकेगा।

- | | |
|--|------------|
| 01 सेवा में रहते कार्मिक के निधन पर उसके आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर आर्थिक सहायता। | 1,50,000/- |
| 02 शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 500 बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता। (आवेदन आमंत्रित करने पर) | 10,000/- |
| 03 शिक्षा विभागीय कार्मिक एवं उसके आश्रित के असाध्य रोग से पीड़ित होने पर अधिकतम सहायता। | 20,000/- |
| 04 एक मुश्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षा कर्मियों के पुत्र/पुत्री के राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति। (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित X th के 950 एवं 50 विशिष्ट उपाध्याय, संस्कृत के छात्र/छात्राओं को)(आवेदन आमंत्रित करने पर) | 11,000/- |
| 05 बालिका उपहार योजनान्तर्गत (सेवाकाल में एक बार) पुत्री के विवाह पर, प्रति वर्ष 1000 प्रकरणों में। | 11,000/- |
| 06 मंत्रालयिक एवं च0श्रे0कर्म0 को भारत भ्रमण सुविधा के तहत राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर अधिकतम सहायता। | 12,000/- |
| 07 बालिका शिक्षा हेतु ऋण। | 50,000/- |

02

हितकारी निधि की सफलता के लिये आपके अधिनस्थ कार्यालयो/विद्यालयों में इस पत्र की प्रतिलिपि मय आपके निर्देशों के भिजवावें, ताकि सफल परिणाम प्राप्त हो सकें। अंशदान की कटौती होने के पश्चात् निर्देशानुसार ECS Cash Book एवं कटौती शिड्यूल की प्रति अध्यक्ष, हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से भिजवायी जानी है, कटौती शिड्यूल में कार्मिक के I.D. संख्या का आवश्यक रूप से उल्लेख करें, क्योंकि यही I.D. कार्मिक का खाता संख्या है, तदनुसार खातों में प्रविष्टियाँ की जावेंगी।

अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी, हितकारी निधि अंशदान माह दिसम्बर, 2021 देय वेतन जनवरी, 2022 का निर्देशानुसार वेतन से कटौती कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(कानाराम)

IAS

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
एवं अध्यक्ष हितकारी निधि राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा0/हिनि/28203/2019-20

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभाग अधिकारी, रोकड़ शाखा, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, कार्यालय हाजा।
2. सम्पादक, शिविरा पत्रिका, बीकानेर को प्रकाशनार्थ।
3. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है की विभागीय वेब-साईट एवं शाला दर्पण/शाला दर्शन पर अपलोड करने बाबत।

(दयाशंकर अरडावतिया)

उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर